भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1750

उत्तर देने की तारीख- 01/08/2024

वन अधिकार अधिनियम, 2007

1750 श्री सुधाकर सिंहः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा वन उपज की बिक्री के लिए वन अधिकार अधिनियम-2007 बनाया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों को वन भूमि और उस पर उगाई जाने वाली चीजों पर अधिकार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जिलों के स्थानीय आदिवासी लोगों को वन सामग्री के परिवहन के लिए परमिट नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वे भुखमरी के कगार पर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार उक्त जिलों के आदिवासी लोगों को वन उपज के परिवहन के लिए परमिट देने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम" (संक्षेप में, एफआरए) 2006 में अधिनियमित (लागू) किया गया था। यह अधिनियम वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन भूमि पर वन अधिकारों और कब्जे की मान्यता और निहित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है।

वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(ग) पारंपरिक रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्रित की जाने वाली लघु वन उपज के स्वामित्व, संग्रह, उपयोग और निपटान के अधिकार को मान्यता देती है एवं निहित करती है; और एफआरए के नियम 2(1)(घ) के तहत दी गई परिभाषा में कहा गया है कि, "लघु वन उपज के निपटान में बिक्री के अधिकार के साथ-साथ परिवहन व्यक्तिगत या सामूहिक प्रसंस्करण,

भंडारण, मूल्य संवर्धन, वन क्षेत्र के भीतर और बाहर उपयुक्त परिवहन के साधनों के माध्यम से ऐसे उत्पादों को उपयोग का अधिकार या आजीविका के लिए संग्रहकर्ताओं या उनकी सहकारी समितियों या संघों या महासंघों द्वारा बिक्री शामिल है"।

(ख) से (घ): राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। और जैसा कि बिहार राज्य सरकार द्वारा बताया गया है कि एफआरए बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। आज तक रोहतास जिले में एफआरए के तहत अनुसूचित जनजातियों को 43 पट्टे दिए गए हैं। कैमूर जिले में 1290 आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन दस्तावेजों की जांच के बाद नामित समिति द्वारा उन्हें खारिज कर दिया गया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय पारगमन अनुज्ञा पत्र (परमिट) जारी करने के संबंध में डेटा नहीं रखता है, हालांकि, एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, ग्राम सभा को उन लघु वनोपजों के लिए पारगमन परमिट को विनियमित करने का अधिकार है, जहां एफआरए के तहत अधिकारों को मान्यता दी गई है। एफआर नियम (6.9.2012 को यथासंशोधित) में प्रावधान है कि लघु वनोपज के परिवहन के लिए पारगमन परमिट नियम 4(1)(ङ) के तहत ग्राम सभा द्वारा गठित समिति या ग्राम सभा द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किए जाएंगे। नियमों में आगे प्रावधान है कि वन अधिकार धारकों के लिए लघु वनोपज के परिवहन के संबंध में राज्य स्तर पर मौजूदा पारगमन परमिट व्यवस्था को संशोधित किया जा सकता है।

बिहार सरकार ने यह भी बताया है कि कैमूर और रोहतास जिले का प्रमुख वन क्षेत्र कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है और अभयारण्य के बाहर एमएफपी संग्रह की अनुमति है। वर्ष 2002 में "बिहार इमारती लकड़ी और अन्य वनोपज (पारगमन विनियमन) नियम, 1973" में संशोधन के अनुसार, किसी भी वन सामग्री के परिवहन के लिए परमिट आवश्यक है और केंदू पत्ता एमएफपी के मामले में परमिट बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा विनियमित है। दोनों जिलों में भुखमरी की कोई सूचना नहीं है। ये क्षेत्र राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न वितरण के अंतर्गत आते हैं। साथ ही, वन क्षेत्रों में लागू अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है।

*****